RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

फुटपाथ पर पलता बचपन : संघर्ष के आयाम

कीर्ति शर्मा
पीएच.डी शोधार्थी

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
मानवाधिकार, फुटपाथ, यूनिसेफ़, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, शहरीकरण, शोषण, संयुक्त राष्ट्र, जनसंख्या विस्फोट, बेरोज़गारी, पारिवारिक विघटन, तस्करी।

***Corresponding Author**
Email: kirtisharma8aug[at]gmail.com

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र में फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले बच्चों के संबंध में अध्ययन किया गया है। जब कभी भी बच्चों के विषय में बात की जाती है तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी है कि, उन्हें इन मूलभूत जरूरतों के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष ना करना पड़े। इसके साथ ही बच्चों के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। परंतु यह सब सुविधाएं उन बच्चों के लिए नहीं है जो फुटपाथों पर रहने को मज़बूर है। जिनके लिए सड़क ही उनके रहने, खेलने व रोज़गार का एकमात्र स्थान है। वर्तमान में इन बच्चों के जीवन संघर्ष व परिस्थितियों को बहुत ही गंभीरता से देखने व समझने की आवश्यकता है।

शोध विस्तार -

मानव अधिकार जितने पुराने हैं उतना ही पुराना उनके हनन का इतिहास भी है। यह बात यहाँ कहना तब और भी प्रासंगिक हो जाता है जब हम बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार /शोषण के संबंध में अध्ययन करते हैं। अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता हैं। इस परिभाषा को दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेन्शन में पायी जाती है। यह कन्वेन्शन एक अन्तराष्ट्रिय क़ानून है जिस पर ज़्यादातर देश अपनी रजामंदी दे चुके है।

यूनिसेफ द्वारा सड़कों पर रहने वाले बच्चों की परिभाषा , कोई" भी लड़की या लड़का जिसके लिए सड़क शब्द के व्यापक अर्थ में), खाली घरों, बंजर भूमि सहित , आदि उसकी आदत निवास और या (आजीविका का स्रोत बन गया है; जो जिम्मेदार वयस्कों द्वारा संरक्षण , प्रबंध या जिम्मेदारी का अपर्याप्त कारण है।"[i]

जब फुटपाथी बच्चों का संदर्भ आता है तब फुटपाथ शब्द का अभिप्राय एक व्यापक अवधारणा को इंगित करता है जिसके दायरे में ऐसे गली कूचों में स्थित स्थान शामिल होते है जो बच्चों के ठहरने की - जगह हो चुके है, बच्चें वहाँ दिन और रात या प्रायः ही ठहरते हैं। फुटपाथी बच्चों की अवधारणा , जिसे आमतौर पर शहरी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। वास्तव में आज कोई राष्ट्र या शहर फुटपाथी बच्चों की मौजूदगी से अछूता नहीं है। यह समस्या विकसित और विकासशील दोनों ही राष्ट्रों में व्यापक तौर पर विद्यमान है किन्तु अलग- अलग देशों में इसकी व्यापकता में भिन्नता है। यह समस्या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, और एशिया के निर्धन देशों में अधिक व्यापक तौर पर उपस्थित है, भारत उनमें से एक है। फुटपाथी बच्चों की संख्या विश्व के सभी बड़े बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है इसका एक बहुत बड़ा कारण- यह है कि शहरीकरण का विस्तार पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

स्ट्रीट चिल्ड्रेन शब्द का आशय प्रायः बाज़ार के बच्चों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जो शहरों में पटरियों और बाज़ारों) में सामान बेचते या भीख मांगते नज़र आते है और अकेले रहते है या । इस शब्द की परिभाषा के अनुसार इन(अपने परिवार के साथ रहते है बच्चों को सड़क पर रहने वाले बच्चों के रूप में भी जाना जाता है। फुटपाथी बच्चों की एक और श्रेणी में बेघर बच्चें भी हैं जो सड़क पर ही काम करते, रहते, और सोते है, प्रायः उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रहता।[ii]

फुटपाथी बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले तात्कालिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इन्हें कुछ श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है अप्रवासी परिवार के बच्चें :, आस पास के गाँवो से शहरों में- आकर सुबह से शाम तक काम करके अपने घर वापस चले जाने वाले बच्चें, बहुत गरीब परिवारों के बच्चें होते है जिनकी देखरेख और सुरक्षा नहीं होती, बाल श्रमिक और बिना परिवार के बच्चें जैसेबेसहारा बच्चें -, अपराधी बच्चें, घर से भागे बच्चें आदि। यूनेस्को नें फुटपाथी बच्चों की समस्या के लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार पाया है जैसे त्वरित और - अनियंत्रित शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट , परिवार का विघटन , बेरोजगारी और अपर्याप्त कमाई ,शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्था की कमियाँ , औपचारिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था जिससे स्कूल में असफलता, स्कूल छोड़ने या नाम न लिखे जाने की घटनाएँ घटती है।

चूंकि फुटपाथी बच्चें शहरों की आबादी का एक छोटा हिस्सा है इसलिए उनकी वास्तविक संख्या का आंकलन करना कठिन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एक आंकलन के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हिंसा पर दि इंडिया कंट्री) रिपोर्ट, 'DWCD(में उद्धृत 2005 , मिलियन बच्चें उन परिवारों के 30 हैं जो अत्यधिक कष्टप्रद और विपन्नता की स्थिति में है। गरीबी रेखा से नीचे है और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषाहार से वंचित है ऐसे बच्चें प्रायः - असंगठित झुग्गियों, रेलवे स्टेशनो, फ्लाईओवर्स के नीचे , बेपरवाह घूमते

RRIJM 2015, All Rights Reserved

टहलते और अपना अधिकांश समय सड़क पर बिताने वाले होते है। वहीं चिल्ड्रेन वॉकिंग टाल ,2006 के अनुसार भारत में अधिकांश फुटपाथी बच्चें लड़के है। सड़कों पर रहने वाले बच्चों में उनकी संख्या लड़कियों की तुलना में लगभग दोगुनी है। फुटपाथी लड़कियां प्रायः देखने को नहीं मिलती और उन्हे ढूँढना भी कठिन होता है । किन्तु फुटपाथी बच्चों में उनकी स्थिति सबसे अधिक संवेदनशील है।[iii] फुटपाथी बच्चें दरअसल वास्तव में एक आबादी हैं जिन्हें राष्ट्रिय जनगणना में न तो "छुपी" शामिल किया जाता है और न ही उनकी अन्यथा गिनती की जाती है। इन बच्चों की बड़ी आबादी प्रत्येक शहर में असंगठित या अनौपचारिक सेवा क्षेत्र में काम करती हुई देखी जाती है। भारत में काम करने वाले फुटपाथी बच्चों का नियोक्ताओं द्वारा कई तरीके से शोषण किया जाता है जैसेअपर्याप्त मजदूरी -, अत्यधिक कार्य और शारीरिक शोषण। स्थितियों के आधार पर यदि देखा जाए तो आरिमपोर ने अपने अध्ययन (1992) स्ट्रीट चिल्ड्रेन ऑफ मद्रास,ए सिचुवेशनल एनालिसिस के अंतर्गत मद्रास शहर के 2,000 फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को नमूने के तौर पर प्रयोग किया। उनके अध्ययन के अंतर्गत निकाल के आया की रात में %58लड़के और %56लड़कियां खुले आसमान के नीचे सोते है , इन बच्चों को आराम और सुकून के मैने तक पता नहीं हैं। इनके पास रहने की जगह तो है ही नहीं इसमें लगभग %90के पास तो शौच आदि के लिए सुविधा नहीं है।[iv] वहीं रीता पणिकर और कल्पना देसाई ने (1993) केस स्टडीज़ में दिल्ली के : अपने अध्ययन स्ट्रीट गर्ल्स ऑफ दिल्ली झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों के मामलों की - कैम्पो में झुग्गी पड़ताल की । ये लड़कियां अखबार बेचने , घरेलू कामों ,निर्माण श्रमिकों और रद्दी उठाने के काम के अलावा अपने खुद के घरेलू काम करती थी।

एमालती लता द्वारा हैदराबाद और सिकंदराबाद में शेल्टर गृहों . सोशल - फिजिकल एंड साइको (1995) में किए गए एक अध्ययन प्रोब्लम्स ऑफ स्ट्रीटचिल्ड्रेन में फुटपाथी बच्चों की स्वास्थय, पोषाहार, सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं की पड़ताल की गयी। इसके अंतर्गत बदलते सामाजिक परिवेश , औधौगिकीकरण , शहरीकरण ,आप्रवास, पारंपरिक पारिवारिक ढांचें का विघटन , जनसख्या वृद्धि , निरक्षरता और अज्ञानता को फुटपाथी बच्चों की बढ़ती संख्या और उनके कष्ट के लिए जिम्मेदार बताया गया।

भारत में फुटपाथी बच्चों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न और हत्या पर ए में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में पुलिस (1996) गणेश द्वारा . अभिरक्षा में फुटपाथी बच्चों के शोषण और हत्या की समस्या पर चर्चा की गयी है। इसके अंतर्गत उन करको को भी शामिल किया गया है जिनका योगदान इस समस्या में होता है। फुटपाथी बच्चों की बढ़ती जनसंख्या, पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें अपराधी और उपद्रवी तत्व के रूप में दर्ज किए जाने से भी पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करती है।[v] दुनिया में लाखो बच्चे अभाव, परित्याग, अशिक्षा, कुपोषण, भेदभाव, उपेक्षा और बेबसी का जीवन जी रहें है। उनके लिए जिंदगी जिंदा रहने का दैनिक संघर्ष बन गयी है । चाहे ये बच्चें शहरों में रहते हो या गांवों में , उनके सामने अपने बचपन से हाथ धोने अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहने, परिवार और समुदाय के संरक्षण के अभाव और शोषण तथा दुरुपयोग के जाल में फँसने का खतरा रहता है। बच्चों के लिए यह एहसास निरर्थक है कि बचपन बड़े होने , सीखने , खेलने कूदने और सुरक्षित महसूस करने की अवस्था होती है।-

शारीरिक रूप से दृष्टिगोचर होते हुए भी सड़कों पर पलते बच्चे अक्सर उपेक्षा , बहिष्कार , और वंचना के शिकार होते है। सड़कों पर पलते बच्चे , बाकी सभी बच्चों मे से सबसे अधिक दिखाई देते है । वे दुनिया के सभी शहरों की सड़कों पर , चौराहों पर जीते और काम करते देखे जा सकते है । इसके बावजूद विडम्बना यह है कि यह बच्चे सबसे अधिक अदृश्य बच्चों में गिने जाते है। इसलिए इन बच्चों तक शिक्षा और स्वास्थय सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के साथ पहुंचना सबसे मुश्किल होता है और इन्हे संरक्षण देना भी सबसे कठिन होता है। स्ट्रीट चिल्ड्रेन शब्दों के प्रयोग में समस्या यह है कि इसे कलंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।[vi] ऐसे बच्चों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि समाज उन्हे अपने लिए खतरा और आपराधिक आचरण का स्रोत मानकर बदनाम कर देता है । फिर भी सड़कों पर जीते या काम करते हुए बहुत से बच्चों ने इस नाम को यह सोचकर अपना लिया है कि इससे उन्हें कुछ न कुछ पहचान तो मिलती है। कितनी अजीब स्थिति है अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति खुद अपनी पहचान बनाता है पर सत्य इससे परे है किसी व्यक्ति की समाज में स्थिति या पहचान क्या होगी यह भी समाज के अन्य लोग तय करते है। जैसे कि सड़कों पर रहने वाले बच्चे , उनकी पहचान वह जगह या फुटपाथ होता है जहां वह रहते या काम करते है बल्कि लोगों में उनके प्रति इतनी असंवेदनशीलता देखी जाती है कि कई बार तो लोग उनका नाम क्या है यह भी जानने की जरूरत नहीं समझते।

सड़कों पर पलने वाले अधिकांश बच्चे अनाथ नहीं होते। इनमें से अनेक बच्चों का अपने परिवारों से संपर्क रहता है और यह बच्चे परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए सड़कों पर काम करते है। ऐसे बहुत से बच्चे अक्सर मानसिक,शारीरिक , या यौन दुरुपयोग के कारण घर से भागकर आते है। इनमें से अधिकतर लड़के होते है क्योंकि लड़कियां ज्यादा लम्बे समय तक घर में दुर्व्यवहार या शोषण को सहन करती रहती है। एक बेघर जीवन जीने वाली बालिका की स्थिति भी दयनीय होती है। वे दलालों का शिकार बन जाती हैं और फिर वेश्यावृत्ति में डाल दी जाती हैं। 2007 लाख से 30 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि भारत में %35.47 हैं और (दलाल) अधिक सेक्स वर्कर्सयुवा वर्ष की आयु 18 से पहले इस दुनिया में प्रवेश करते हैं।[vii]

बच्चे किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहली ज़िम्मेदारी होते है। जो मानव विकास तथा राष्ट्रिय उत्थान के क्षेत्र में प्राथमिक महत्त्व रखते है। किसी भी देश की विकासीय योजनाओं के अंतर्गत बाल विकास से संबन्धित योजनाओं को हमेशा ही महत्त्व प्रदान किया जाता है। बाल शोषण की समस्या ऐसी जटिल समस्या है जो कि बच्चों के बढ़ने तथा विकास की प्रक्रिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती

है। इसके अलावा एक और पक्ष है जो कि फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों से बहुत ही मुख्य तौर पर संबन्धित है वह है तस्करी व प्रवासन का। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि पिछले सालों में बच्चों की 15-10 तस्करी तथा हस्तांतरण की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चों के इतनी बड़ी तादाद में प्रवासन के पीछे मुख्य कारण सामाजिक तथा आर्थिक पाये जाते है। जोकि पिछड़े इलाकों से बड़े शहरों की ओर आते है। इन बच्चों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है।

कलकत्ता शहर के अंतर्गत फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों की स्थिति का अध्ययन किया गया। इसमें देखा गया कि किस प्रकार ये बच्चे घर, परिवार, शिक्षा , स्वास्थ्य, व भावनात्मक सहारे से वंचित जीवन जीने को मजबूर है। यह अध्ययन मुख्यतः उन बच्चों के जीवन संघर्ष को चित्रित करते हुए किया गया जिन्हें कि ‘ घुमन्तू बच्चे’ भी कहा जाता है। दरअसल फुटपाथो पर गुजर बसर करने वाले बच्चों में भी कई वर्ग है , एक वर्ग उन बच्चों का है जो उस शहर के फुटपाथो पर ही रहकर अपनी गुजर बसर करता है और जीवन व्यतीत करता है। वहीं एक दूसरा वर्ग ऐसे बच्चों का है जिनका कोई एक ठिकाना नहीं है वे समय व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग शहरों में जाकर रहने व काम करने को मजबूर है।- किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना- इस स्थिति में उन्हे और किस करना पड़ता है। इन बच्चों को काम कि तलाश में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना पड़ता है। इनके लिए काम की कोई श्रेणी नही होती। इन बच्चों को ज़्यादातर अवैधानिक कामों के लिए ही चुना जाता है जिनमें नशीले पदार्थों की तश्करी , चोरी डकैती इत्यादि शामिल है। चूंकि ऐसे कामों को करने के बदले में इन बच्चों को अच्छी रकम मिलती है जिस कारण वे हर तरह के जोखिम उठाने को तैयार हो जाते है[viii]। यह अध्ययन कलकत्ता के शीआलदाह रेलवे स्टेशन के आस पास- रहने वाले बच्चों के संबंध में किया गया। जिसके अंतर्गत कई सारे बच्चो से बात की गयी जिसमें कि उन्होने अपनी कहानी बताते हुए बताया कि यहाँ पर उनकी कई लोगों से दोस्ती हो जाती है, कभीकभी तो ऐसे लोग- भी जिनसे कि वे एकदम अंजान होते है। उनका कहना था हमारी दोस्ती कुछ वक्त तक के लिए ही होती है जब तक की हमारा काम होता है। क्योकि किसी से भी ज्यादा रिश्ता रखने या प्यार की उम्मीद हमे नहीं होती। इन बच्चों का कहना है कि जब हमारे माँ बाप ही हमे प्यार नहीं- करते जिसके चलते हम ऐसी जिंदगी जीने को बाध्य है तो फिर हम किसी और से कोई उम्मीद कैसे कर सकते है। इसके साथ ही ये बच्चे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों की गिरोह में भी शामिल हो जाते है , क्योंकि उनके साथ रहके वे अपने को सुरक्षित महसूस करते है। वे बताते है वे गिरोह जो नशीले पदार्थों इत्यादि का काम करते है उनकी पहुँच बहत ऊपर तक होती है और उनके साथ रहने पर काम भी मिलते है। जिससे कभी2 कभी हम एक दिन में-,000 से 3,000 तक कमा लेते है और साथ ही पुलिस इत्यादि का भी डर इनके साथ रहने पर नहीं लगता। अगर कभी पुलिस से हमारा सामना होता भी है तो हमारे साथी हमारी मदद करते है। वहीं लक्ष्मी नाम की एक लड़की बताती है कि उसे व उसके साथियों को ऐसे किसी भी गिरोह में शामिल होना पसंद नहीं है। जो कि गलत तरीके से ज्यादा पैसा कमाते है। हम साधारण काम करके ही दिन का 100-50 रुपये तक कमा लेते है। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि कैसे ये बच्चे अपने जीवन में सही व गलत चीजों में फर्क करते है या कर पाते है भी कि नहीं। क्योंकि जहां पर उनके पास अपना कहने वाला कोई है ही नहीं वहाँ पर वे अच्छे बुरे का ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे। इस अध्ययन से एक बात और निकाल कर सामने आयी कि इन बच्चों को अपने इस तरह के जीवन में रहने की इतनी आदत हो चुकी है जिसे कि वे पूर्ण रूप से आज़ादी वाला जीवन मानते है। कि N.G.O या अन्य किसी संस्था द्वारा जब उन्हें कोई मदद करने की कोशिश की जाती है तो वे उसका लाभ नहीं उठाना चाहते।

यूनिसेफ़ द्वा (1988)रा फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

1- **सड़कों पर रहने वाले बच्चे** वे बच्चे जो आर्थिक कारणों – से फुटपाथों पर रहते है, वहाँ काम करते है। उनका अपना परिवार होता है और वे अपने परिवारों के साथ ही रहते है या फिर लगातार उनके संपर्क में बने रहते है।

2- **बेघर बच्चे** ऐसे बच्चे जो बिना किसी पारिवारिक सहयोग - के अपने ज़्यादातर दिन और राते फुटपाथों पर व्यतीत करते हैं जबकि उनका परिवार होता है।

3- **परित्यक्त बच्चे** ऐसे बच्चे जो कि अपने जैविक परिवारों से - बिलकुल अलग हो चुके हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं होता पिता कौन हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या- कि उनके माता किन्हीं कारणोवश अपना घर छोड़कर भाग आए है, किसी वजह से खो गए है या निराश्रित हैं। (बेसहारा)[ix]

4- भारत सरकार द्वारा फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को कामकाजी बच्चे के रूप में देखा जाता है।

किसी भी बड़े शहर के अंतर्गत सड़कों पर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उनका पंजीकरण करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इस कार्य में 90 स्वयं सेवी संस्थाओं व 176 कार्यकर्ताओं ने दस महीनो में सूचनाएँ एकत्र की। श्रीनाथ चेरुवरी {कोलकाता} के अनुसार 23, मई 2006 को 13 वर्ष की मालती दास को उसके पैतृक गाँव (दक्षिण 24 परगना) से बाल तस्करों द्वारा अगवा कर कोलकाता के सोनागाछी (लाल बत्ती एरिया) के एक वेश्यालय में बेच दिया गया। कुछ स्थानीय स्वयं सेवी संगठन जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उनकी सहायता से मालती उस जगह से बच निकलने में सफल रही। परंतु उसके पास किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र नहीं था जिसके आधार पर वह अपना केस लड़ सकती और यह साबित कर सकती कि वह नाबालिक है। इन सबके बीच पुनः तस्करों द्वारा उसे अगवा कर लिया जाता है। जो भी स्वयं सेवी संगठन मालती के केस पर काम कर रहे थे वे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक मालती के मुद्दों को पहुंचाने में सफल रहे और अंततः मालती को उस जगह से बचा लिया गया। चूंकि मालती के मुद्दे को स्वयं सेवी संस्थाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर देखा जिस कारण उसे बचाया जा

सका। परंतु मालती की ही तरह ऐसे सैकड़ों बच्चों के संबंध में यह प्रश्न अभी भी यथावत है , जिनको वयस्क बताकर उनका शोषण किया जाता है। साथ ही उन्हें वयस्क दिखाने के लिए उन पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों के इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात को और अधिक समझने के लिए नागेश कुकुनूर की फिल्म लक्ष्मी"(2015)" का उदाहरण लिया जा सकता है। जिसके अंतर्गत इस समस्या को दिखाया गया है कि कैसे नाबालिक लड़कियों को वयस्क दिखाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन दिये जाते हैं। *"एक जन्म प्रमाणपत्र बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बुनयादी उपकरण/जरूरत है"।*[x] सड़कों व कामकाजी बच्चों के लिए **सिटी लेवेल प्रोग्राम ऑफ एक्शन (CLPOA)** के सचिव अचिंत्य भट्टाचार्या इस बात का दावा करते हैं कि वे यूनिसेफ़ के साथ संगठित होकर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। बिना किसी पहचान के कोलकाता शहर में रहने वाले 75,000 से अधिक बच्चों को जन्म से संबन्धित दस्तावेज़ प्रदान करने हेतु। कलकत्ता शहर के संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की 45 मिलियन की कुल आबादी में से लगभग 450,000 लोग बेघर है और सड़कों पर या झोपड़ियों में रहते है। अनुमानतः शहर में बेघर बच्चों की संख्या 100,000 के आस-पास आंकी गयी। सड़कों पर रहने वाले बच्चों को जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की इस पहल से सड़कों पर रहने वाले बच्चों के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसकी सहायता से बच्चों के लिए स्कूलों में दाखिला लेना , भविष्य में रोजगार लेना और बाल विवाह व शोषण के संबंध में कानूनी सहायता लेना आसान हो जाएगा।

फुटपाथों पर रहने वाले बहुत से बच्चों को कानूनी एजेंसियों द्वारा जिनमें पुलिसवाले -, होमगार्ड इत्यादि शामिल हैं , विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार बनाया जाता है। यही नहीं , इन बच्चों को वयस्क बताकर इनके ऊपर विभिन्न कानूनी कार्यवाहियाँ भी की जाती है। जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बच्चों को किशोर न्याय प्रणाली (juvenile justice system) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करेगा। अंचित्य भट्टाचार्या बताते हैं कि CLPOA वंचित बच्चों के जीवन की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाने वाला एक संगठन है। जो फुटपाथों और वंचित बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को प्रदान किए जाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए अवरोध पैदा करने वाले कारकों की पहचान करता है। जून 2005 में , उन्होने यूनिसेफ़ और कोलकाता निगम एवं कोलकाता पुलिस सहित अन्य हितधारको के साथ मिलकर ठोस समाधान खोजने की दिशा में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस बैठक में बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान की सिफ़ारिश की गई और उसके क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत रणनीति विकसित की गई। "The Calcutta Samaritans" जो की शहरी बेघरों के उत्थान के लिए काम करने वाली एक स्वयं सेवी संस्था है उसके अंतर्गत कार्यरत मोमिता बताती है की जन्म पंजीकरण की इस समस्या की भयावहता को देखना होगा, उनका कहना है कि हजारों बेघर परिवारों में से उनके संगठन ने कोलकाता के 102 वार्डो को कवर किया था। उनमें से केवल तीन के पास अपने बच्चों के लिए उचित जन्म प्रमाणपत्र था।[xi] चूंकि यह परिवार सड़कों पर रहते है , इसलिए उनके पास महत्त्वपूर्ण कागजात संरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं थी। यूनिसेफ़ के राज्य प्रतिनिधि रुडोल्फ श्वेनेक बताते है कि बाल अधिकारों के सम्मेलन में परिकल्पित बाल अधिकारों को बरकरार रखने की दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा यह बड़ा कदम है। यह प्रयास एक मॉडल के रूप में उभरेगा जो यह सुनिश्चित करता है कि कोलकाता शहर में पैदा होने वाला हर बच्चा पंजीकृत हो। जन्म प्रमाणपत्र न होने की समस्या सिर्फ कोलकाता शहर में ही नहीं है बल्कि यह तो सिर्फ एक उदाहरण है पूरे भारत की सड़कों पर रहने वाले बच्चों की परिस्थिति के संबंध में। इस तरह की समस्या के संबंध में अभी भी उचित व कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है सिर्फ यह कह देने से कि इन बच्चों का जीवन संकट में है , स्थिति दयनीय है ,इससे कोई भी समस्या हल नहीं होगी। अगर हम यह मानते है की किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहाँ की अगली पीढ़ी होती है तो फिर सड़कों पर पलते इस भविष्य को अनदेखा अनसुना क्यों किया जा रहा है?

बच्चे जो कि समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा है वे निर्भर है सबसे कमजोर है। फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों को अपनी सामाजिक , आर्थिक, व सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा व देखरेख की आवश्यकता होती है। इन बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में देखा जा सकता है अनाथ परित्यक्त और (1) - मानसिक रूप (4) अपाहिज बच्चे (3) श्रमिक बच्चे (2) बेसहारा बच्चे से बीमार बच्चेएवं अन्य।[xii] फुटपाथ की जिंदगी कभी सुर्खियां नहीं बन पाती चाहे बात देश के भविष्य की ही क्यों न हो ? देश की राजधानी हो या कोई छोटा शहर इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। में एक सवाल का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री 2013 मेनका गांधी ने कहा था की सरकार के पास सड़कों पर रहने वाले बच्चों का कोई तय आंकड़ा नहीं है न ही सरकार के पास ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे इन बच्चों की गिनती की जा सके। गैर सरकारी संगठन डॉन" द्वारा "बॉक्सो नेशनल फोरम'यंग एट रिस्क' के लिए देश के शहरों में 16 में कराये गए सर्वे 2013क्षण का हवाला देते हुए उन्होने बताया कि सड़कों पर रहने वाले सबसे ज्यादा बच्चे महानगरों में है।

उपसंहार -

यह पूरी स्थिति देखकर हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते है कि क्या ऐसी जिंदगी हममें से कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी जी पाएगा ? जो ये मासूम बच्चें व इनके अपने रोज जीते है ? शायद यह कल्पना करना ही हमारे लिए भयावह हो। मानव जीवन की जो तीन मूलभूत अवश्यकताएँ बताई गयी है रोटी,कपड़ा और मकान क्या वे मूलभूत चीजें भी इस तबके को नहीं मिलनी चाहिए ? क्या इन बच्चों का बचपन भी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रेम से परिपूर्ण नही होना चाहिए। हमेशा की तरह यह सभी सिर्फ सवाल बनकर रह जाते हैं। जवाब कहीं नहीं होता। शायद इनकी जिंदगी के जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। ऐसे में हम उन बच्चों की स्थिति को शायद ही कभी समझ पाएँ जो कि हर दिन अपने रहने सोने के लिए फुटपाथों पर जगह तलाशते है। अगर शोषण के आयामों को ही खंगाले तो हम देख पाएंगे कि इतनी विविधताएँ है जो

RRIJM 2015, All Rights Reserved

हमारी कल्पनाओं से भी परे है। सड़कों पर काम करते ये बच्चे अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना करते है ये बात शायद ही कही जा सके, और यह इसलिए भी है क्योंकि जब तक हम इनकी आवाजें सुनेंगे नहीं तब तक वें कहेंगे कैसे। बहुत जरूरी हो जाता है उस समाज को बदलना जहां देश का भविष्य ही फुटपाथों पर सोने को मजबूर है। क्या सिर्फ अपने बच्चों के संरक्षण और भविष्य की चिंता काफी है? समाज के भविष्य की चिंता भी हमे ही करनी होगी।

संदर्भ सूची-

[i] https://hindi.mapsofindia.com/my-india/india/street-children-in-india-what-are-their-lives-like

[ii] फुटपाथी बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम एक मूल्यांकन :, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान , सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया 5 , हौज खास , नई दिल्ली।

[iii] Ibid- पृष्ठ संख्या 4 -

[iv] दुनिया के बच्चों की स्थिति 2011, किशोरावस्था अवसरों की आयु, unicef.

[v] POLICE ABUSE AND KILLINGS OF STREET CHILDREN IN INDIA, Human Rights Watch Chilren's Rights Project, Human Rights Watch, 1996.

[vi] Working With Street Chilren, Module-6 Responding to the Neds and Problems of Street Chilren, WORLD HEALTH ORGANIZATION.

[vii] बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता के बारे में बाल अधिकार समझौते का वैकल्पिक प्रोटोकॉल , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार,2011

[viii] PAUL ANWESHA(DAS),. Insecurities of 'Roaming Working Children', case study of Kolkata, EPW January 2014.

[ix] Sharmila Khwairakpam, and Kaur Sukhminder, Experiences of Abuse Street Children: Nature, Magnitude and Practices, American Journal of Advanced Drug Delivery, www.ajadd.co.uk

[x] http://unicef.in/Story/1135/Making-every-child-count-in-the-City-of-Joy

[xi] http://unicef.in/Story/1135/Making-every-child-count-in-the-City-of-Joy page no-2

[xii] Kacker Loveleen, Childhood Betrayed- child abuse and neglect in india, Harper Collins Publishers India, 2015

RRIJM 2015, All Rights Reserved